इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 जनवरी 2012—माघ 10, शक 1933

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2012

क्र. एफ 3–03/2011/साठ – मंत्रि परिषद की दिनांक 24 जनवरी 2012 को सम्पन्न बैठक में मध्य प्रदेश राज्य में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु "पवन परियोजना नीति 2012" का अनुमोदन किया गया है। सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त नीति का प्रकाशन, "मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

विषयः– मध्यप्रदेश राज्य में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं के क्रियांवयन हेतु "पवन ऊर्जा परियोजना नीति – 2012".

———

प्रस्तावना :

मध्यप्रदेश शासन ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की बढ़ती मान्यता पर ध्यान दिया है तथा इन प्रभावों के कारण उद्‌भूत हुई चुनौतियों का समेकित नीति निर्धारण तथा प्रभावों के न्यूनीकरण तथा तंत्र की वैधता को कम करने के लिए अनुकूलन की दिशा में लक्षित कार्यक्रम के माध्यम से सामना करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इस हरित पटल के आधार पर प्राकृतिक कार्बन ऊर्जा संसाधनों, जिससे कि राज्य समृद्व है, के अपरिहार्य क्षरण को रोकने की आवश्यक जरूरत का समर्थन करते हुए राज्य, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से विद्युत के उत्पादन के उन्नयन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का परोक्ष रूप है। पृथ्वी पर पहुँचने वाले कुल सौर विकिरण का लगभग 1% पवन की ऊर्जा में परिवर्तित है। पवन ऊर्जा, ऊर्जा का अत्यंत सस्ता तथा दोहन क्ररने योग्य नवीकरणीय स्त्रोत है जिसको कि विद्युत के उत्पादन में काम में लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा के प्रयोग के कई फायदें है – जैसे अल्प स्थापनावधि, कोई कच्चा माल व्यय नहीं, गैर प्रदूषणीय आदि। पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादक (पावर जनरेटर्स) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा बाजार पर छाए हुए हैं। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लगभग 70% है। 11वीं योजना प्रस्ताव 2022 तक भारत में पवन ऊर्जा संभावना का लगभग 88% काम मे लाकर 40,000 मेगावाट की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता पर विचार कर रहा है। मध्यप्रदेश के पास लगभग 5500 मेगावाट की पवन ऊर्जा संभावना है, जबकि राज्य में कुल स्थापित क्षमता 270 मेगावाट है। राज्य सरकार पवन ऊर्जा को ऊर्जा के अतिरिक्त एवं वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में प्रोत्साहित करना प्रस्तावित करती है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश शासन निम्नलिखित कार्यक्रम तथा नीति निम्नानुसार पुनः स्थापित करना प्रस्तावित करता है :–

पृष्ठभूमि :

1 मध्यप्रदेश शासन, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापना को बढ़ावा देने के लिए निवशकों/विकासकर्ता को शासन की ऊर्जा नीति क्रमांक 513 दिनांक 17.10.2006 के माध्यम से प्रोत्साहन देता आया है।

2 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आगामी पवन परियोजनाओं हेतु नवीन तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। जिससे प्रदेश में उपलब्ध पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन क्षमता का समुचित दोहन संभव हो सकेगा। उनके द्वारा नीतिगत परिवर्तन किये गये है, जिसका प्रावधान नवीन नीति में किया गया है।

3. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित नए टैरिफ के साथ तथा मध्यप्रदेश में पवन ऊर्जा के वृहत अनुपयोजित क्षमता पर विचार करने के पश्चात्, पुनरीक्षित निवेशक/विकासकर्ता मित्र नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही हैं।

4. पवन ऊर्जा के लिए नई नीति का नाम "**पवन ऊर्जा परियोजना नीति 2012**" है।

नियामक ढांचा :

1 "विद्युत अधिनियम 2003" जून 2003 से पारित एवं प्रभावशील है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी निजी व्यक्ति अथवा एजेन्सी विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने हेतु स्वतंत्र है तथा उसे पारेषण सुविधा के मुक्त उपयोग (Open access) का अधिकार होगा।

2 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग वर्ष 1999 से कार्यशील है तथा आयोग द्वारा समय–समय पर पारित आदेश/नियमन इस नीति के प्रावधानों पर लागू होंगे। इसी प्रकार भारत शासन द्वारा ऊर्जा–प्रक्षेत्र में समय–समय पर पारित किए गए अधिनियम भी इस नीति के प्रावधानों पर लागू होगे। इस नीति के प्रावधान एवं

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयेग द्वारा जारी किए गए आदेश /विनियम के मध्य कोई विसंगति की दशा में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश/विनियम लागू होंगे।

खण्ड – अ
(नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत)

1.1 नीति प्रभावशीलता की अवधि :–

1.1.1 यह नीति मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

1.1.2 इस नीति के अंतर्गत आवंटित या आवंटित की जाने वाली सभी पवन ऊर्जा परियोजनाएँ निर्माण (Built), स्वामित्व (Own), चालन (Operate), के आधार पर संचालित होगी, जिसकी अवधि वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (Comercial Operation Date) से प्रारंभ होकर 25 वर्ष या परियोजना की आयु जो भी पहले होगी के बराबर होगी। इस अवधि के पश्चात् शासन द्वारा परियोजना के नवीनीकरण पर विचार किया जाएंगा।

1.1.3 **पवन ऊर्जा परियोजना** :– किसी भी स्थल पर एक या एक से अधिक विण्ड टरबाइन जनरेटर की स्थापना से विद्युत उत्पादन को इस नीति के अंतर्गत पवन ऊर्जा परियोजना कहा गया है।

1.2 प्रतिभागिता :–

परियोजना आवंटन के लिये किसी भी व्यक्ति/फर्म/सोसायटी/संस्था/पंजीकृत कंपनी, इत्यादि द्वारा आवेदन किया जा सकेगा । संयुक्त उपक्रम के आवेदन मान्य नहीं होंगे।

2. परियोजना आवंटन प्रक्रिया :

विभाग द्वारा परियोजना आवंटन हेतु वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में एक बार या वर्ष में कम से कम चार बार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदक शासकीय भूमि या निजी भूमि पर परियोजना स्थापना हेतु आवेदन कर सकता है। विभाग द्वारा जहाँ पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु विण्ड मॉनिटरिंग मास्ट लगाये गये हैं, के डाटा आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। शासकीय भूमि पर एक ही स्थल पर परियोजना हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो आवंटन प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर किया जावेगा। प्रतिस्पर्धा का आधार प्रीमियम की राशि होगी, जिसके लिए ऐसे आवेदकों से बोली आमंत्रित की जावेगी। शासकीय भूमि पर कोई भी आवेदक एक बार के विज्ञापन में 100 मे0वा0 से अधिक का आवेदन नही कर सकेगा। निजी भूमि पर आवेदक को प्रस्ताव अनुसार परियोजना का आवंटन किया जावेगा। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा प्रस्तावित परियोजना स्थल के विण्ड टरबाईन जनरेटर अन्य निकटवर्ती पूर्व में चिन्हित/स्थापित विण्ड टरबाईन जनरेटर से तकनीकी रूप से सुरक्षित दूरी पर स्थापित किये जायें।

3.0 परियोजना का विकास :

3.1 आवंटन पत्र (LOA) व पवन ऊर्जा विद्युत विकास अनुबंध (WPDA) :–

3.1.1 विकासक के चयन (कण्डिका–2) होने के 15 दिवस के अन्दर LOA जारी किया जायेगा।

3.1.2 LOA जारी होने के 07 दिवस के अन्दर विकासक अपनी सहमति देगा। विकासक को सहमति–पत्र के साथ रूपये 50,000/– प्रति मेगावाट या शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रति मेगावाट की दर से प्रक्रिया शुल्क जमा करना होगा।

3.1.3 शासकीय भूमि पर परियोजना की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करने हेतु विकासक को निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee) जमा करनी होगी।

विकासक को परियोजना निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee) दो चरणों में जमा करनी होगी। प्रथम चरण की निष्पादन गारंटी LOA जारी होने के 30 दिवस के अंदर रूपये एक लाख प्रति मेगावाट की दर से या समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार जमा करनी होगी।

द्वितीय चरण की निष्पादन गारंटी परियोजना के वित्तीय समापन से 30 दिवस के अन्दर परियोजना लागत की 0.5 प्रतिशत राशि जमा करना होगी। यह राशि बैंक गारण्टी, डिमाण्ड ड्राफ्ट या सावधि जमा की रसीद के रूप मे हो सकती है। दोनो चरणों की निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee) सम्पूर्ण परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन से छह माह तक की अवधि तक के लिए विद्यमान्य होनी चाहिए।

3.1.4 निष्पादन गारण्टी (Performance Guarantee) की विमुक्ति, अनुमोदित परियोजना के, कण्डिका 3.2.2 के अनुसार स्थापित क्षमता के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 3 माह के उपरान्त की जा सकेगी।

3.1.5 चयनित विकासक द्वारा प्रथम चरण की निष्पादन गारंटी जमा करने के 30 दिवस तथा LOA जारी होने के 60 दिवस के अन्दर पवन ऊर्जा विद्युत विकास अनुबंध (W.P.D.A.) का निष्पादन करना होगा।

3.1.6 विकासक को सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं तकनीकी आर्थिक साध्यता प्रतिवेदन (TEFR) तैयार करने या उसकी जांच हेतु किए गए सम्पूर्ण व्यय उनके स्वयं के स्त्रोतों से करने होंगे।

3.1.7 यदि किसी चयनित विकासक द्वारा कण्डिका 3.1.3 के अनुसार निष्पादन गारण्टी जमा नही की जाती है तो उसको आंवटित परियोजना निरस्त मानी जावेगी ।

3.1.8 निजी भूमि पर प्रस्तावित परियोजना का कियान्वयन नीति के अन्तर्गत निर्धारित समय–सीमा में किया जाना होगा । यदि निर्धारित समय–सीमा के बाद परियोजना स्थापित की जाती है तो नीति में उल्लेखित प्रोत्साहन निर्धारित समय–सीमा के अनुसार सीमित रहेंगे ।

3.2 परियोजना की स्वीकृति एवं निकासी :–

3.2.1 WPDA निष्पादित होने की तिथि से विकासक द्वारा आवश्यक स्वीकृतियाँ जिसमें संबंधित स्थानीय निकायों के लागू अधिनियम संबंधी स्वीकृतियाँ एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भी शामिल है, प्राप्त कर अधिकतम् 18 माह में वित्तीय समापन (Financial Closure) किया जायेगा। इस अवधि को समाधानप्रद कारकों के आधार पर प्रकरणवार अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकेगा।

3.2.2 विकासक को WPDA निष्पादित होने की तिथि से परियोजना का व्यावसायिक उत्पादन (Comercial Operation Date) निम्न समय–सीमा में सुनिश्चित करना होगा :–

50 प्रतिशत परियोजना क्षमता	–	28 माह
सम्पूर्ण परियोजना क्षमता	–	36 माह

(यदि कण्डिका 3.2.1 के अनुसार समय–सीमा में वृद्धि की जाती है तो उपरोक्त समय–सीमा तद्नुसार बढ़ी मानी जायेगी।)

3.3 परियोजना की प्रगति :–

3.3.1 विकासक अनुबंध (WPDA) की तिथि से वाणिज्यिक संचालन की तिथि तक त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा। प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन का सत्यापन किया जायेगा, परियोजना की प्रगति नीति में दी गई समयावधि तथा संकेतक चरणों के अनुरूप अनिवार्यतः होगी। इस संबंध में किसी विलम्ब का स्पष्टीकरण विकासक द्वारा समाधानप्रद रूप में करना होगा।

3.3.2 यदि विकासक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है तो विकासकर्ता को सुनवाई का मौका दिया जायेगा और शासन द्वारा आबंटित की गई परियोजना को किसी भी प्रकम में रद्द किया जा सकेगा।

4. भूमि उपयोग अनुमति :

4.1 परियोजना क्रियांवयन हेतु यदि शासकीय भूमि उपलब्ध है तो भूमि उपयोग की अनुमति एयरोजनेटर की स्थापना, हेतु फुटप्रिन्ट के आधार पर, एयरोजनेटर तक पहुँच रोड़, ट्रासंमिशन लाईन, उपकेन्द्र स्थापना एवं अन्य अनुषांगिक उपयोग हेतु वास्तविक उपयोग के आधार पर दी जावेगी। फ्रुटप्रिन्ट के आधार पर आवश्यक भूमि का माप शासन द्वारा स्थापनाधीन WTG की तकनीक को विचार में लेकर निर्धारित किया जावेगा।

4.2 शासकीय राजस्व भूमि के उपयोग की अनुमति :–

4.2.1 शासकीय राजस्व भूमि के उपयोग की अनुमति हेतु राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 16–3/93/सात/2ए दिनांक 06.09.2010 एवं क्र. एफ 6–53/2011/सात/नजूल दिनांक 08.08.2011 में अधिकथित शर्तें लागू होगी।

4.2.2 शासकीय भूमि का उपयोग विकासक द्वारा अन्य किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है तो भूमि उपयोग की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी व भूमि राजस्व विभाग को वापस कर दी जावेगी। भूमि पर विकासक द्वारा किया गया निर्माण/संयंत्र राजसात किया जावेगा।

4.2.3 राज्य शासन/जिला कलेक्टर के अधिकृत व्यक्ति द्वारा परियोजना के उपयोग की भूमि का निरीक्षण किसी भी समय किया जा सकेगा व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि निर्धारित प्रायोजन के अलावा भूमि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु नही किया जा रहा है।

4.2.4 शासकीय राजस्व भूमि पर भूमि उपयोग की अनुमति नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा दी जायेगी। विकासक को उपयोग हेतु दी गई भूमि यदि विकासक तृतीय पक्ष को उपयोग हेतु हस्तांतरित करना चाहे तो राजस्व विभाग की उन्हीं शर्तों पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा भूमि उपयोग की अनुमति का हस्तांतरण किया जा सकेगा।

4.3 वन भूमि के उपयोग की अनुमति :–

कण्डिका 4.2 में उल्लेखित प्रावधानों के अतिरिक्त वन–भूमि के उपयोग हेतु, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देश समस्त वन भूमियों पर लागू होंगे।

4.4 अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व की भूमि के उपयोग की अनुमति :–

अनुसूचित जनजाति के भूमि धारकों की भूमि पर परियोजना की स्थापना मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहित की धारा 165 (ख) एवं अन्य प्रावधानों का पालन करके की जा सकेगी। अनुसूचित जनजाति के भूमि धारकों की भूमि पर परियोजना की स्थापना केवल विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार आपसी सहमति तथा परस्पर अनुबंध के आधार पर की जा सकेगी।

5.0 ग्रिड संयोजन एवं निष्क्रमण प्रबंध :

उत्पादन स्थल से निकटतम सब–स्टेशन या अंतर संयोजन स्थल या समीपस्थ पारेषण/वितरण लाईन को जोडने का कार्य, जिसमे ट्रांसफार्मर पैनल, संरक्षण, मीटरिंग इत्यादि सम्मिलित हैं, का उत्तरदायित्व विकासक का होगा जो कि म.प्र.ग्रिड संहिता, म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता, 2004, म.प्र.विद्युत नियामक आयोग एवं केंन्द्रिय विद्युत नियामक आयोग के समय–समय पर संशोधित तकनीकी एवं सुरक्षा मापदण्डों के अनुरूप होगा। यह कार्य म.प्र. पारेषण कंपनी लिमिटेड एवं/अथवा अन्य संबंधित वितरण कंपनी या उनके नियम एवं शर्तों अनुसार किया जायेगा, जिसका भुगतान विकासक द्वारा वहन किया जायेगा। इस विषय मे नियामक आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

6.0 पारेषण एवं वितरण (Transmission and Distribution) :

6.1 उत्पादन स्थल से उपभोग स्थल (Consumption Point) तक अपनी स्वयं की समर्पित पारेषण/वितरण लाईन निर्माण करने के लिए विकासक स्वतंत्र होगा। विकासक को विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य की विद्यमान पारेषण

सुविधाओं का उपयोग करने का भी अधिकार होगा। इस नीति में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत विकासक मध्यप्रदेश ऊर्जा पारेषण कंपनी लिमिटेड (MPPTCL) के साथ व्हीलिंग अनुबंध करना होगा।

6.2 यदि विकासक तृतीय उपभोक्ता पक्ष/अनुज्ञप्तिधारी वितरक/ऊर्जा वितरण कंपनी को ऊर्जा विक्रय करता है तो वह मध्यप्रदेश ऊर्जा पारेषण कंपनी लिमिटेड (MPPTCL) को व्हीलिंग एवं पारेषण शुल्क देने के लिए बाध्य होगा, जिसके संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

6.3 मध्यप्रदेश ऊर्जा पारेषण कंपनी लिमिटेड (MPPTCL)/संबंधित वितरण कंपनी द्वारा निर्दिष्ट मीटरिंग उपकरण उत्पादन स्थल एवं अंतर्संयोजन स्थल पर मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 एवं मीटरिंग हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के प्रावधानों के अनुरूप विकासक के व्यय पर स्थापित किए जाऐंगे। मध्यप्रदेश ऊर्जा पारेषण कंपनी लिमिटेड/वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

7.0 ऊर्जा का विक्रय :

7.1 विकासक द्वारा उत्पादित ऊर्जा का विक्रय किसी तृतीय पक्ष उपभोक्ता/इच्छुक वितरण कंपनी (Willing Distribution Company) अथवा ऊर्जा विपणन कंपनी (Power Trading Company) को स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादन (IPP) से उत्पादित संपूर्ण ऊर्जा या केप्टिव ऊर्जा उत्पादन (CPP) से उत्पादित अतिशेष ऊर्जा का विक्रय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार किया जा सकेगा।

7.2 शासकीय भूमि अथवा उसके किसी भाग पर स्थापित होने वाली परियोजना से उत्पादित बिजली को क्रय करने का प्रथम अधिकार एम0पी0 पावर ट्रेडिंग कंपनी को होगा।

7.3 विकासक को बिजली क्रय अनुबंध हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग से सभी अनुमतियां प्राप्त करनी होंगी।

7.4 पवन ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का विक्रय म0प्र0 विद्युत नियामक द्वारा निर्धारित दर पर किया जावेगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशानुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया से अवधारित टैरिफ, "जो आयोग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक न हो", आयोग को ग्राह्य होगा।

7.5 ईकाई द्वारा परियोजना में रिएक्टीव पावर लेने पर म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर शुल्क देय होगा।

7.6 विकासक उत्पादित ऊर्जा का विक्रय आर0ई0सी0 प्रक्रिया के अनुरूप कर सकता है।

खण्ड़ – ब
(सामान्य प्रावधान)

1. विकासक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) से 3 वर्षों के खण्ड़ में परियोजना का न्यूनतम औसत CUF (Capacity Utilization Factor) 20 % हो, अन्यथा CUF (Capacity Utilization Factor) कम होने पर समाधानप्रद कारण के अभाव में परियोजना रद्द की जा सकेगी।

2. विकासक को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली द्वारा पवन ऊर्जा परियोजना क्रियान्वयन हेतु जारी किये गये प्रचलित दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

3. विकासकर्ता को विण्ड टरबाईन मॉडल चयन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विण्ड टरबाईन मॉडल के चयन हेतु निर्धारित नवीनतम प्रचलित दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

4. अ) पूर्व नीति के अंतर्गत चिन्हित स्थल पर पंजीकृत/अनुमोदित परियोजनाओं, जिनके द्वारा अब तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया है, को इस नीति में प्रत्यार्पित किया जा सकेगा। प्रत्यार्पित विकासकों को नवीन नीति के अनुसार परिशोधित कार्य–योजना (Revised Implementation Schedule) सहमति–पत्र इस नीति के अधिसूचित होने से दो माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा । पूर्व नीति के अंतर्गत ऐसी परियोजना स्थल, जिनके पंजीयन हेतु आवेदन लंबित है, को परियोजना आवंटन इस नीति के प्रावधान की सहमति के आधार पर किया जावेगा। ऐसे विकासकों द्वारा सहमति–पत्र इस नीति के अधिसूचित होने से दो माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे विकासकों को सहमति पत्र की दिनांक से नीति के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन गारंटी सहित कार्यवाही करनी होगी। यदि कोई विकासक सहमति–पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उनका आवेदन, पंजीयन एवं अनुमोदन निरस्त माना जावेगा।

   ब) पूर्व नीति के अंतर्गत जिन विकासकों को विण्ड मानीटरिंग हेतु स्थल आवंटित किये गये हैं अथवा जिनके द्वारा चिन्हित स्थल पर विण्ड मानीटरिंग हेतु आवेदन दिया गया है, को इस नीति में प्रत्यार्पित किया जावेगा। ऐसे विकासकों को नीति अधिसूचित होने से 2 माह के अन्दर सहमति–पत्र देना होगा, कि वे उन स्थलों पर परियोजना स्थापित करना चाहते है, तो प्रत्यापर्ण के साथ इस नीति के प्रावधानों के अंतर्गत परियोजना आवंटित मानी जावेगी अन्यथा ऐसे विण्ड मानीटरिंग प्रस्ताव निरस्त माने जावेंगे। सहमति पत्र की दिनांक से विकासक को नीति के निष्पादन गारंटी सहित नीति के अन्य प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

5. स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (IPP) को केप्टिव ऊर्जा उत्पादक (CPP) के रूप में या इसके विपरीत परिवर्तित करने का विकल्प होगा, तथापि दी गई अनुमति मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगी।

6. परियोजना निरीक्षण :–

   6.1 राज्य शासन से अधिकृत अधिकारियों को परियोजना की सुरक्षा की दृष्टि से परियोजना निरीक्षण का अधिकार होगा। निरीक्षण के समय इन अधिकारियों को विकासक द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

6.2 विकासक द्वारा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित (क्षमता, उत्पादन, उत्पादन में गतिरोध इत्यादि) अभिलेख का संधारण किया जाएगा तथा निरीक्षण के समय अधिकृत अधिकारियों को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए जाऐंगे।

6.3 विकासक को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) के उपरांत प्रत्येक माह में परियोजना से उत्पादित ऊर्जा के आकड़े, जो बिलिंग (Billing) के लिए उपयोग में लिए गये हो शासन को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत विकासक को तृतीय पक्ष से अनुज्ञप्तिधारी अथवा एक तृतीय उपभोक्ता पक्ष से दूसरे तृतीय उपभोक्ता पक्ष को ऊर्जा विक्रय की अनुमति प्रदान की जा सकेगी । म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम "ऊर्जा के नवीनकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत के सह उत्पादन तथा उत्पादन (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010" के तहत विद्युत क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना होगा।

8. परियोजना का समर्पण :– अनुबंध निष्पादन के उपरांत विकासक परियोजना समर्पण हेतु स्वतंत्र होगा, किन्तु ऐसी स्थिति में निष्पादन गारंटी राजसात कर ली जावेगी। विकासक को परियोजना स्थल पूर्व स्थिति में शासन को लौटाना होगा। यदि परियोजना की स्थापना विकासक के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितिवश नहीं हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में निष्पादन गारंटी विमुक्त की जा सकेगी।

9. पूर्व स्थापित परियोजनाओं में यदि कोई विकासक उन्नत WTG स्थानापन्न (Replace) कर परियोजना को अपग्रेड करना चाहता है, तो विकल्प खुला रहेगा। इस हेतु विकासक को शासन में अपग्रेडड परियोजना का पंजीयन करवाना आवश्यक होगा।

10 कोई भी विकासक अपने घर की छत अथवा निजी स्थल/भूमि पर लघु क्षमता की विण्ड टरबाइन जनरेटर/विण्ड सोलर हायब्रिड़ संयंत्र (क्षमता – 100 कि0वा0 तक) लगाने के लिये स्वतंत्र होगा। इस हेतु विकासक को शासन में पंजीयन करवाना होगा। यह पंजीयन निःशुल्क किया जावेगा। ऐसी योजनाओं हेतु इस नीति के अन्य बंधनकारी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

11. जो विकासक इस नीति के अंतर्गत सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहें, वे विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं 36) के अंतर्गत बिना किसी उपरोक्त अनुमति प्राप्त किये परियोजना स्थापित कर सकते हैं।

12. शासन, जनहित में यदि आवश्यक हुआ तो, परियोजना का अधिग्रहण कर सकेगा।

13. इस प्रस्ताव में किसी बात के अंतर्दिष्ट होते हुए भी विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समय–समय पर यथापारीत आदेश, इस नीति के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए अभिभावी होंगे।

14. पूर्व ऊर्जा नीति 2006 के अंतर्गत आवेदित/पंजीकृत परियोजनाएं, जिनका क्रियान्वयन किसी कारणवश निरस्त किया गया है या ऐसे विकासक परियोजना स्थापना हेतु आवेदन करते है, तो शासन स्तर पर सुनवाई कर निराकरण किया जा सकेगा। निराकरण की स्थिति में परियोजना का प्रत्यापर्ण इस नीति के अंतर्गत कंडिका 4 के अनुसार किया जा सकेगा।

खण्ड – स
(प्रोत्साहन)

1. पवन ऊर्जा परियोजना से की गई विद्युत आपूर्ति पर कोई ऊर्जा उपकर देय नहीं होगा।

2. इस नीति के अधीन क्रियान्वित परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा और उन्हे समय समय पर यथा संशोधित राज्य शासन की 'उद्योग संवर्धन नीति' के अधीन सभी सुविधाएं प्राप्त होगी। इस नीति एवं उद्योग संवर्धन नीति के प्रावधानों में विरोधाभास की स्थिति में इस नीति के प्रावधान लागू होंगे।

3. पवन ऊर्जा परियोजना से ऊर्जा क्रय का विकल्प देने वाले औद्योगिक उपभोक्ता को स्थायी आधार पर संविदा मांग में समानुपातिक कटौती के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

4. केप्टिव कंजम्पशन तथा तृतीय पक्षकार विक्रय करने हेतु स्थापित परियोजना को 10 वर्ष की कालावधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

5. स्वयं के उपयोग एवं तृतीय पक्ष को ऊर्जा विक्रय की स्थिति में मध्यप्रदेश विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड अथवा संबंधित राज्य वितरण कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर व्हीलिंग आफ पावर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मध्यप्रदेश राज्य में स्थित तृतीय पक्ष को विक्रय के मामले में राज्य शासन द्वारा संबंधित वितरण कंपनी को 4.0 प्रतिशत की दर से व्हीलिंग अनुदान प्राप्त होगा।

6. बैंकिंग :– प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शत–प्रतिशत ऊर्जा संचय की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाएगी :–

   1. वित्तीय वर्ष में संचित ऊर्जा के आंकड़ों का सत्यापन संबंधित राज्य वितरण कंपनी/राज्य विद्युत विपरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। विकासक द्वारा संचित ऊर्जा का दो प्रतिशत संचय शुल्क के रूप में संबंधित राज्य वितरण कंपनी/राज्य विद्युत विपणन कंपनी को भुगतान करना होगा।

   2. संचित की गई ऊर्जा की वापिसी, विद्युत नियामक आयोग द्वारा ऊर्जा के नवीनीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह उत्पादन तथा उत्पादन (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2010'' के व नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी विनियमनों के आधार पर होगी।

3. वापिस ली गई संचित ऊर्जा के बाद यदि कोई ऊर्जा वित्तीय वर्ष के अन्त में शेष रहती है तो राज्य वितरण कम्पनी/राज्य विद्युत विपणन कम्पनी, नियामक आयोग द्वारा जारी नियमों/निर्देशो के अनुसार शेष ऊर्जा क्रय करेगी।

7. कार्बन क्रेडिट या इस प्रकार के अन्य प्रोत्साहन, जो इस प्रकार की पवन ऊर्जा परियोजना को उपलब्ध होंगे वह विद्युत नियामक आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विकासक को उपलब्ध होंगे।

8. 15 मेगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं का समीपस्थ 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र पर उत्पादित ऊर्जा का निष्क्रमण 33 के0वी0 लाईन पर किया जा सकेगा। यदि विकासक द्वारा ऐसे केन्द्र में निष्क्रमण किया जाता है, तो इस उपकेन्द्र को विद्युत कटौत्री से मुक्त रखा जा सकेगा।

9. पवन ऊर्जा संयंत्र हेतु वेट/एन्ट्री टैक्स में म.प्र. शासन के असाधारण राजपत्र क्रमांक 380 दिनांक 01.08.09 के अनुसार छूट प्राप्त होगी।

10. परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण एवं अन्तर–विभागीय समन्वय के विषयों पर निराकरण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित परियोजना स्वीकृति एवं क्रियान्वयन बोर्ड (PCIB) के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

अनिल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.